UPLK010067722017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष परीक्षण सं0 301/2017

सरकार **बनाम** जगत नरायन शुक्ला आदि
अ0सं0 342/2012
धारा–406,420,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–आश्यिाना, लखनऊ।

दिनांक–05.12.2025

आवेदक/अभियुक्त जगत नारायन शुक्ला द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त जगत नरायन शुक्ला द्वारा विशेष परीक्षण संख्या 301/2017 मु0अ0सं0 342/2012 अंतर्गत धारा– 406, 420, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के आरोप में उन्मोचित किया जाये।

आवेदक/अभियुक्त जगत नारायण शुक्ला द्वारा उन्मोचन हेतु यह आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को इस प्रकारण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक को दिनांक 15.01.2013 को धारा 406, 420, 504, 506 आईपीसी और एससी एवं एसटी अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (एक्स) के तहत आरोप पत्र दिया गया है। आवेदक के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)10 (जिसे अब 3(1)(द) कहा जाता है) के अंतर्गत वर्तमान मामला नहीं बनता है। इस धारा का मुख्य घटक "जानबूझकर अपमान करना" और "सार्वजनिक दृश्य में कोई भी स्थान" है। प्रस्तुत है कि वर्तमान मामले के स्थल मानचित्र में अपराध की घटना शिकायतकर्ता के घर की सीमा के भीतर दिखाई गई है और घटना 22.01.2011 को रात्रि लगभग 10:00 बजे दर्शाई गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि अपराध के घटित होने के कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं हैं, केवल सूचना देने वाले के हितबद्ध गवाह का उल्लेख किया गया है। वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत दिए गए निर्णयों की श्रृंखला को समान तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वे विरोधाभासी सिद्धांतों पर आधारित हैं। धोखाधड़ी के लिए लेन–देन की शुरुआत से ही बेईमानी की मंशा की आवश्यकता होती है, जबकि आपराधिक विश्वासघात में संपत्ति का वैध रूप से सौंपा जाना शामिल होता है जिसका बाद में बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है। सूचक ने जाँच अधिकारी के समक्ष जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि केस डायरी संख्या 3 में सूचक ने जाँच अधिकारी के समक्ष कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है। अपराध घटित होने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो वर्ष का विलम्ब किया गया तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आवेदक को इस माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा

कर दिया गया है और उसने इस माननीय न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के विरुद्ध सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। शिकायत में कथित घटना की तारीख और समय का भी उल्लेख नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त के उन्मोचन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती रतन कौर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना आश्याना में प्रस्तुत की गयी कि वादिनी की बेटी व जगत नरायन शुक्ला की बेटी एक ही विद्यालय में पढ़ती है। जिसकी वजह से वह कभी कभी हमारे घर पर आता रहता था। जगत नरायन शुक्ला ने दिनांक 24.11.2009 को सुबह आकर हमको जनकारी दी कि अपना घर आवासीय योजना के नामांकन के फर्म भरे जा रहे हैं, आप भी फार्म भर दो। हम सब करवा देंगे। प्रार्थिनी ने आवास के लालच में उनकी बातों में आ गयी और दिनांक 24. 11.2009 अपने खाते से तीस हजार निकाल कर जगत नरायन शुक्ला के खाता में जमा किया व तीन हजार रूपये जाति प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के नाम लिये। जगत नरायन शुक्ला ने फार्म जमा करके फर्जी रसीद लाकर दे दी। इसी तरह से इन्होंने हमें वृन्दावन आवास एवं विकास योजना का फार्म भरा। इस फार्म के लिए जगत नरायन शुक्ला के खाते में दिनांक 30. 11.2009 को 19,000/—रू0 जमा किया और जगत नरायन द्वारा फार्म जमा करने की रसीद लाकर दिया। इस योजना में हमारा आवास आवंटन करवाने के नाम से तीस हजार रू0 और मांग रहा है। उसका कहना है कि हमारी अधिकारियों से अच्छी पहुंच है। रूपये नहीं दोगी तो आवेदन निरस्त करवा दूंगा। वादिनी को समाचार पत्र द्वारा पता चला कि अपना घर आवासीय योजना निरस्त कर दी गयी है और सबका रूपया वापस हो रहा है। तब हमने जगत नरायन शुक्ला से कहा कि हमारा रूपया वापस क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जानकारी करके बतायेंगे। इसी दौरान वादिनी एल0डी0ए0 कार्यालय में दिनांक 17.01.2011 को गयी, तो पता चला कि वादिनी का फार्फ जमा ही नहीं किये गये हैं। फिर वापस आकर पुनः शुकला से कहा कि आपने हमारे फार्म जमा नहीं किये है। आप हमारा रूपया वापस कर दो ंतो शुक्ला ने 20 दिन बाद रूपया देने को कहा। दिनांक 22.01.2011 को रात के लगभग 10.00 बजे जगत नरायन शुक्ला एवं पत्नी गायत्री शुक्ला व अन्य लोगों के साथ आया और वादिनी के साथा गाली गलौज करते हुए कहा कि एल0डी0ए0 आफिस जाकर पता करती हो, हमें फंसाना चाहती हो, हम तुम्हें पकड़वाकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि दुबारा लखनउ कभी नहीं देखेगी और गालियां देकर चले गये।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि केस डायरी के पर्चा नं0 2 में वादिनी मुकदमा एवं वादिनी की पुत्री कु0 सुरजीत कौर, गवाह अजय प्रताप का बयान अंकित किया गया है, जिनके द्वारा घटना का समर्थन किया गया है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा मु0अ0सं0 342/2012

अंतर्गत धारा–406, 420, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में अभियुक्त जगत नरायन शुक्ला के विरूद्ध दर्ज कराई गयी है और गवाहों का बयान अंकित किये जाने व अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात् आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफॅ पंजाब (2014)3 एस0सी0सी0 92*** में प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी मामले में आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या पत्रावली पर इस प्रकार का साक्ष्य आदि उपलब्ध है, जिससे युक्तियुक्त रूप में यह स्पष्ट होता हो कि आरोपित किये जाने वाले अपराध में अभियुक्त संलिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अन्य किसी तथ्य की जांच नहीं की जानी है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता रही है तो उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफॅ पंजाब (2014)3 एस0सी0सी0 92*** में प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी मामले में आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या पत्रावली पर इस प्रकार का साक्ष्य आदि उपलब्ध है, जिससे युक्तियुक्त रूप में यह स्पष्ट होता हो कि आरोपित किये जाने वाले अपराध में अभियुक्त संलिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अन्य किसी तथ्य की जांच नहीं की जानी है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता रही है तो उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

हेमचन्द बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए.आई.आर.2008 एस.सी. 1903 इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को सीमित क्षेत्राधिकार होता है। इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं। इसी मामले में आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि चार्ज के स्टेज पर केवल और केवल विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों को ही पढ़ा जायेगा। अभियुक्त/बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया अभिलेखीय साक्ष्य पठनीय नहीं होगा। **Onkar Nath Mishra and others Vs. State of Delhi and others (2008) SCC (Criminal) Page 507** by the Hon'ble Supreme Court that at the stage of framing of charge the court is required to evaluate the materials and documents on record with a view to finding out if the facts emerging there from, taken at their face value, disclosed the existent of all the ingredients constituting the alleged offence. What need to be considered is whether there is ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At the stage, the court is expected to go deep into the provative value of the material on record of the court not is required to appreciate evidence to conclude whether the material produced are sufficient are not for convicting the accused of the material brought on record by the prosecution has to be accepted as true the stage. At that stage, even strong suspicious found on material which leads the court to form presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged would justify the framing of charge against the accused in-respect of the

commission of the offence.

प्रस्तुत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर में कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर पर आकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। विवेचक द्वारा घटना स्थल की बनायी गयी नक्शा नजरी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादिनी के दरवाजे पर चैनल को दर्शित किया गया है और X के निशान से घटना स्थल दर्शित किया गय है। उक्त स्थान वादिनी के गेट के अंदर का है, जो कि सार्वजनिक स्थल नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का अपराध नहीं बनना पाया जाता है।

जहां तक अभियुक्त द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र यह आधार लिया गया है कि वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत दिए गए निर्णयों की श्रृंखला को समान तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वे विरोधाभासी सिद्धांतों पर आधारित हैं। धोखाधड़ी के लिए लेन–देन की शुरुआत से ही बेईमानी की मंशा की आवश्यकता होती है, जबकि आपराधिक विश्वासघात में संपत्ति का वैध रूप से सौंपा जाना शामिल होता है जिसका बाद में बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अंतर्गत धारा 406 भा0दं0सं0 व धारा 420 भा0दं0सं0 का अपराध एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्त पर धारा 406 भा0दं0सं0 का भी अपराध वर्तमान मामले में नहीं बनना पाया जाता है।

इस तरह उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुशीलन के उपरान्त यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त जगत नरायन शुक्ला के विरूद्ध धारा–420, 504, 506 भा0दं0सं0 का प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित होगा तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त जगत नरायन शुक्ला द्वारा द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

चूंकि प्रकरण में अब एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का अपराध नहीं पाया जा रहा है। अतः पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ को इस निर्देश क साथ भेजी जाये कि वे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पत्रावली विचारण हेतु प्रेषित करें।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 07.01.2026 को पेश हो।

संबंधित अभियुक्त संबंधित न्यायालय में नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

विशेष न्यायाशीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

दिनांक–05.12.2025